



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9761

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42542 / 2025

हसमत.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रतिवादी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : रूबी गौतम, विजय कुमार कुशवाहा

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : शसकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत आवेदन, अभियुक्त-आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें उसे पुलिस थाना बाकेवर, जिला फतेहपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 158/2014, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पशु वध का अभिकथन मिथ्या है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से बरामद 10 किलो गोमांस मनगढ़ंत है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि आवेदक पशुओं के क्रय-विक्रय के कारबार में संलिप्त नहीं है। पुलिस ने आवेदक के कब्जे से गोमांस की बरामदगी को मिथ्या दिखाया है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और आवेदक को अब किसी और तरह की अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि अभिकथित घटना का कोई स्वतंत्र या सार्वजनिक साक्षी नहीं है। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि आवेदक 04.11.2025 से जेल में निरुद्ध है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक के कब्जे से उसे अपराध से जोड़ने वाला कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।

5. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, लेकिन मामले के गुणागुण पर टिप्पणी किए बिना, यह जमानत का मामला बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. अतः अभियुक्त- आवेदक **हशमत**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक नियत तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी भंग होने की स्थिति में, निचली अदालत उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

14 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।